न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :–श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 – 56 / 2022

अनवान : –

1. रामप्रताप पुत्र श्री परसाराम जाति जाट निवासी मलखेड़ा त0 भादरा।

वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।
2. पंजाब नेशनल बैंक शाखा गांधीबड़ी जरिये शाखा प्रवन्धक

प्रतिवादीगण

दावा बाबत रिकार्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट राजस्थान काश्त0 अधि

उपस्थिति :–श्री श्रवण सहारण वादी

निर्णय दिनांकः 06.02.2023

संक्षेप में प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 17 एएमएस के खाता सं0 52/69 के मु0न0 14, 15, 22, 23, 24 की कुल 9.765है0 में वादी के नाम 244/1953 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उपरोक्त वर्णित वाद भूमि में नामान्तरण दर्ज करते समय प्रार्थी का नाम प्रताप पुत्र परसाराम दर्ज हो गया जबकि वादी का सही नाम रामप्रताप पुत्र परसाराम है। वादी के सभी दस्तावेजों में सही नाम रामप्रताप पुत्र परसाराम ही दर्ज है। इस प्रकार वादी का नाम गलत राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने से वादी अपनी खातेदारी का सही प्रकार से उपयोग–उपभोग नहीं कर पा रहा है। अतः वादी राजस्व रिकार्ड में उक्त नाम की शुद्वि करवा पाने के कानूनी अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ने अपना जवाब पेश किया। प्रतिवादी सं0 2 को वकील प्रतिवादी ने तर्क अंकित किया व तहसीलदार भादरा से रिपॉर्ट प्राप्त की गई।

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि वादी को उक्त वाद भूमि विरासतन अपने पिता से प्राप्त हुई है। वादी का नाम नामान्तरण दर्ज करते समय उक्त वाद भूमि में प्रताप पुत्र परसाराम दर्ज हो गया। जबकि वादी के सभी दस्तावेज में नाम रामप्रताप ही है। अतः वादी का सही नाम दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेजात यथा पहचान पत्र , आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, पारिवारिक राशन कार्ड ,प्रमाण पत्र सरपंच तथा मुताबिक रिपॉर्ट पटवार हल्का

उपखण्डाधिकारी (राजस्व), भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

आदि में सही नाम रामप्रताप ही दर्ज है। मुताबिक तहसीलदार रिपॉर्ट उक्त नाम वादी का विरासतन नामान्तरण दर्ज करते समय राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुआ है। इस प्रकार वाद वादी स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः वाद वादी अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट स्वीकार किया जाता है तथा रोही मौजा चक 17 एएमएस के खाता सं0 52/69 के मु0न0 14, 15, 22, 23, 24 की कुल 9.765है0 में वादी के नाम 244/1953 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में **वादी का नाम प्रताप कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर रामप्रताप पुत्र परसाराम की** घोषणा की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें। पर्चा डीकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 06.02.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शकुंतला चौधरी)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस

सि0न0 – 56/2022

अनवान : –

1. रामप्रताप पुत्र श्री परसाराम जाति जाट निवासी मलखेड़ा त0 भादरा।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।
2. पंजाब नेशनल बैंक शाखा गांधीबड़ी जरिये शाखा प्रबन्धक

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुंतला चौधरी उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री श्रवण सहारण की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 17 एएमएस के खाता सं0 52/69 के खु0न0 14, 15, 22, 23, 24 की कुल 9.765है0 में वादी के नाम 244/1953 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में **वादी का नाम प्रताप कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर रामप्रताप पुत्र परसाराम की** घोषणा की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें।

यह डिक्री आज दिनांक 06.02.2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुंतला चौधरी)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़